



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273984  
CG-DL-E-01072026-273984

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3433]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/ आषाढ 10, 1948

No. 3433]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

का.आ. 3568(अ).— केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको, उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम सं. 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम 2002 (2003 का 13) से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. एन एच -11014/33/2024-एलए]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2026

**S.O. 3568(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15<sup>th</sup> day of July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 56 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), shall come into force.

[F.No. NH-11014/33/2024-La]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.